

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

शमपाल सिंह बनाम मोहर सिंह आदि

दावा बाबत :- 88 Act

मुकदमा नम्बर :- 87/2021

निर्णय दिनांक :- 18-10-2021

वादी की ओर से वकील श्री बाधर अग्रवाल की व प्रतिवादी सं० 1-5-2 की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि शही भोजा सुरतापुरा के खाता संख्या 63/64 के खासरा सं० 167 की 1.3310 हे० खासरा सं० 232/1 की 131040 हे० कुल 14.495 हे० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजसू रिवाड के पक्ष में है और शही भोजा सुरतापुरा के खातेदार वादी व प्रतिवादी सं० के हिस्सा बराबर के खातेदार बनाया जाए घोषित किया जाते हैं न्यून प्रतिवादी सं० 02 न अपना सम्पूर्ण टुक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० के पक्ष में लभाग कर मुन्प कर लिया है इसीलिए लभाग किया गया हिस्से पर पूजापन विभाग का दाय पंजीयन मुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व सीप लुपि मुक्ति व मुल्क रद्द हो तो रद्द मुल्क ड्यु के उपरान्त धू राजसू रिवाड के अन्तर्गत दाय किया जावे राजीनामा का डिक्री का काग पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
B.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा जिला हनुमानगढ़
दिनांक 18-10-2021
सुरतापुरा